भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1376
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है।)

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा

1376. श्री पंकज चौधरीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों द्वारा डिजिटल लेन-देन पर ब्याज की अतिरिक्त दर का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दुकानों पर 5000 रुपए प्रतिदिन के भारी अर्थदण्ड या 50 करोड़ या अधिक के राजस्व वाली कंपनियों द्वारा एक भी डिजिटल भुगतान मोड नहीं करने पर भारी अर्थदण्ड लगाने संबंधी परिपत्र जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बैंकों द्वारा डिजिटल लेन-देन पर लिए जा रहे ब्याज दर की समीक्षा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ): यह प्रावधान करने के लिए वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269धप अंतःस्थापित की गई है कि व्यवसाय करने वाले ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल बिक्री, कारोबार, या कुल प्राप्तियां, जैसा भी मामला हो, पचास करोड़ रुपए से अधिक होंगी उसे सीबीडीटी की तारीख 30.12.2019 की अधिसूचना संख्या 105/2019 के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक विधियों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 ने भी अधिनियम में धारा 271घख अंतःस्थापित की है जिसमें किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा धारा 269धप के उपबंधों के अनुपालन में विफल होने के मामले में पांच हजार रुपए प्रतिदिन की शास्ति लगाए जाने का प्रावधान है। तथापि, यदि विनिर्दिष्ट व्यक्ति तारीख 31.01.2020 को या इससे पहले सुविधाओं की संस्थापना करने और उनके प्रचालन में विफल रहता है तो शास्ति 01 फरवरी, 2020 से लगाई जाएगी।

इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10क अंतःस्थापित की गई थी जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी बैंक या प्रणाली प्रदाता पर, अथवा अधिनियम की धारा 269धप के अंतर्गत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक विधि के जरिए भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थी पर शास्ति और प्रभार नहीं लगाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक विधियों के माध्यम से किए गए भुगतान पर 01 जनवरी, 2020 को या इसके पश्चात व्यापारी बट्टा दर (एमडीआर) सहित कोई भी प्रभार लागू नहीं होगा।

06 दिसम्बर, 2017 को, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने "डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए व्यापरी बट्टा दर (एमडीआर) के यौक्तिकीकरण" के संबंध में एक परिपत्र जारी किया था, जिसके द्वारा 'कार्ड उपस्थित' और 'कार्ड उपस्थित नहीं' से संबंधित दोनों ही प्रकार के लेन-देनों के लिए अधिकतम अनुमेय एमडीआर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उनके द्वारा ऑन-बोर्डेड व्यापारियों द्वारा डेबिट कार्ड लेन-देनों से संबंधित एमडीआर प्रभार ग्राहकों पर न डाले जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने तारीख 11 जून, 2019 के परिपत्र द्वारा तारीख 01.07.2019 से आरटीजीएस/एनईएफटी प्रयोग करके किए गए बाह्य लेन-देनों के लिए लगाए गए प्रक्रिया प्रभार और समय विविधता प्रभार माफ कर दिए हैं।

******

अनुबंध

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए उपायों के बारे में दिनांक 10.02.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1376 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क. वित्त विधेयक, 2020 में, पिछले वर्ष के दौरान (क) कुल सभी नकद प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियों का 5 प्रतिशत से अधिक न होने और (ख) कुल सभी नकद अदायगियां ऐसी अदायगियों का 5 प्रतिशत से अधिक न होने पर, धारा 44कख के अंतर्गत लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने के लिए न्यूनतम सीमा मौजूदा एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए कर दी गई है।

ख. खाता आदाता चैक, खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट और बैंक खाता के जरिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली जैसी मौजूदा अनुमेय भुगतान विधियों के अतिरिक्त निर्धारित की जा सकने वाली अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधियों को शामिल करने के लिए वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 13क, 40क, 43, 43गक, 44कघ, 50ग, 56, 80ञञक, 269धध और 269धन को संशोधित कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेटबैंकिंग, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), वास्तविक समय पर सकल समाधान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक अंतरण (एनईएफटी) और भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) आधार पे को शामिल करने का प्रावधान करने के लिए तारीख 29.01.2020 को जारी अधिसूचना संख्या 08/2020 के तहत नियम 6खखक अंतःस्थापित किया गया।

ग. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा, अधिनियम की धारा 44कघ के अंतर्गत मान्य लाभ की मौजूदा दर 01.04.2017 से बैंकिंग माध्यम/डिजिटल साधनों के जरिए प्राप्त कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों के संबंध में 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दी गई।

नकद लेन-देनों को हतोस्ताहित करने लिए उपाय

क. किसी व्यक्ति द्वारा अपने बैंक खाते से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकालने पर कतिपय छूटों के अध्यधीन स्रोत पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर लगाए जाने का प्रावधान करने के लिए वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 के तहत, 01.09.2019 से एक नई धारा 194ढ अंतःस्थापित की गई।

ख. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 01.04.2018 से, अधिनियम की धारा 40क(3) के अंतर्गत एक दिन में नकद भुगतान की मौजूदा न्यूनतम सीमा 20,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए की गई।

ग. किसी व्यक्ति द्वारा किसी एकल लेन-देन या किसी एक आयोजन या अवसर से संबंधित लेन-देन के संबंध में 2 लाख रुपए या अधिक की नकद प्राप्ति प्रतिषिद्ध करने के लिए वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 01.04.2017 से एक नई धारा 269धन अंतःस्थापित की गई। धारा 269धन का उल्लंघन करके ऐसी प्राप्ति की राशि के बराबर जुर्माने का प्रावधान करने के लिए धारा 271घक अंतःस्थापित की गई।

घ. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा, किसी धर्मार्थ संगठन को नकद दान की सीमा 01.04.2018 से 10,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए कर दी गई है।

ङ. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा, 01.04.2018 से यह निर्धारित करते हुए अधिनियम की धारा 13क के उपबंध संशोधित कर दिए गए हैं कि किसी राजनैतिक दल द्वारा 2,000 रुपए या इससे अधिक का चंदा किसी बैंक पर आहरित खाता आदाता चैक या किसी खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट अथवा किसी बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का प्रयोग करके अथवा इलेक्टॉरल बांड के जरिए ही प्राप्त किया जाएगा।

च. अवमूल्यन या निवेश संबद्ध भत्ते का दावा करने के लिए नकद पूंजीगत व्यय की सीमा 10,000 रुपए पर सीमित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 01.04.2018 से अधिनियम की धारा 43(1) और धारा 35कघ संशोधित की गईं।

*****